सत्यमेव जयते
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय
क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई
(एक आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन)
(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)

"उद्योगों में सुरक्षा अधिकारी की कानूनी आवश्यकताएं और भूमिकाएं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (09 - 11 दिसंबर 2026)

संस्थान के बारे में:

क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई), चेन्नई, डीजीओएसएच (पूर्व में डीजीएफएएसएलआई के रूप में जाना जाता था) का एक अधीनस्थ कार्यालय, भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आरएलआई चेन्नई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और ओएसएच (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य) पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

पाठ्यक्रम के बारे में:

औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने, व्यावसायिक दुर्घटनाओं को रोकने, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और संगठनों के भीतर एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं पर बढ़ते जोर के साथ, सुरक्षा अधिकारियों से सुरक्षा कानून, तकनीकी मानकों, खतरे की पहचान, आपातकालीन तैयारी और प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का व्यापक ज्ञान होने की उम्मीद है।

यह तीन दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा अधिकारियों की व्यावहारिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग नियंत्रण, औद्योगिक स्वच्छता प्रथाओं, विद्युत और यांत्रिक सुरक्षा, रासायनिक प्रक्रिया सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन के समकालीन दृष्टिकोण के साथ कानूनी प्रावधानों को एकीकृत करता है।

वस्तुनिष्ठ:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है:

- ❖ उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझें।
- ❖ लागू कानूनों और विनियमों के तहत सुरक्षा अधिकारियों के वैधानिक कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों की व्याख्या करें।
- ❖ दुर्घटना की रोकथाम, घटना की जांच और जोखिम प्रबंधन में सुरक्षा अधिकारियों की भूमिकाओं को समझें।
- ❖ निरीक्षण, ऑडिट और दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने में योग्यता विकसित करना।
- ❖ आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का ज्ञान बढ़ाएँ।
- ❖ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को जानें।
- ❖ प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और व्यवहार सुरक्षा पहल के माध्यम से एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना

पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यस्थल परिदृश्यों में प्रभावी शिक्षण और व्यावहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों, केस स्टडीज और इंटरैक्टिव चर्चाओं के माध्यम से दिया जाएगा।

- ❖ कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति।
- ❖ OSHWC कोड 2020 का परिचय।
- ❖ सुरक्षा अधिकारियों की कानूनी भूमिकाएं, कर्तव्य, शक्तियां और जिम्मेदारियां।
- ❖ विभिन्न औद्योगिक कानूनों के तहत सांविधिक अनुपालन आवश्यकताएं।
- ❖ खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण उपाय (एचआईआरए)
- ❖ औद्योगिक दुर्घटना जांच, रिपोर्टिंग और कानूनी जिम्मेदारियां।
- ❖ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट।
- ❖ व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वच्छता और स्वास्थ्य निगरानी
- ❖ सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा निरीक्षण और अनुपालन निगरानी
- ❖ आपातकालीन तैयारी, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन योजना

पक्षपात:

यह कार्यक्रम सुरक्षा अधिकारियों, एचएसई/ईएचएस पेशेवरों, फैक्ट्री प्रबंधकों, उत्पादन प्रबंधकों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरों, औद्योगिक स्वच्छता विशेषज्ञों, अग्नि और सुरक्षा कर्मियों, वैधानिक अनुपालन के लिए जिम्मेदार मानव संसाधन और प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा समिति के सदस्यों, पर्यवेक्षकों, ठेकेदारों के सुरक्षा समन्वयकों, सलाहकारों और उद्योगों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (ओएसएचई) प्रथाओं को लागू करने और निगरानी करने में शामिल सभी पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

दिनांक और समय:

तीन दिन, 09 से 11 दिसंबर 2026 1000 बजे से 1700 बजे तक।

कार्यक्रम-स्थल:

वेबिनार हॉल ऑफ रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, चेन्नई अड्यार, टीआई, तारामणि पोस्ट, तमिलनाडु -600113

1. संस्थान शुल्क: रु.5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) प्रति प्रतिभागी भारत कोष पोर्टल के माध्यम से देय है। **आरएलआई, चेन्नई से नामांकन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद, निम्नलिखित चरणों द्वारा भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।** कृपया ध्यान दें, संस्थान शुल्क में जलपान या कामकाजी दोपहर का भोजन शामिल नहीं है।

2. भुगतान प्रक्रियाएं:

त्वरित भुगतान का चयन करने https://bharatkosh.gov.in लिए लॉगिन करें

मंत्रालय: 021- श्रम और रोजगार उद्देश्य: सेवा और सेवा शुल्क

वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ): 030461 - पीएओ, डीजीई एंड टी II, चेन्नई

डीडीओ कोड: 230475 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान) टिप्पणी: "उद्योगों में एक सुरक्षा अधिकारी की कानूनी आवश्यकताओं और भूमिकाओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आवास:

संस्थान के छात्रावास में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ट्विन शेयरिंग के आधार पर सीमित संख्या में गैर-परिवार छात्रावास आवास उपलब्ध है। आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्रमुख: श्री बीजे रवि, निदेशक **(सुरक्षा) और प्रभारी, आरएलआई, चेन्नई।**

प्रशिक्षण समन्वयक:

श्री गोपीनाथ.बी, अपर सहायक निदेशक (एस), आरएलआई, चेन्नई।

नामांकन:

नामांकन 08 दिसंबर, 2026 **को या उससे पहले अपर सहायक निदेशक (एस),** औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग को **भेजा जा सकता है।**

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान / पाठ्यक्रम समन्वयक से पुष्टि के अधीन है।

सम्पर्क करने का विवरण:
फोन: 8098856432, वेबसाइट: www.dgfasli.gov.in ई-मेल:
b.gopi@dgfasli.nic.in,
rlichennai@dgfasli.nic.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, CHENNAI
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

Training Programme on "Legal requirements and Roles of a Safety Officer in industries" (09th – 11th December 2026)

ABOUT THE INSTITUTE:

The Regional Labour Institute (RLI), Chennai, a subordinate office of DGOSH(Formerly Known as DGFASLI), provides technical assistance and services in the areas of Occupational Health, Safety, and Environment for the Southern Region of India. Additionally, RLI Chennai organizes training programs and conducts courses on OSH (Occupational Safety and Health).

ABOUT THE COURSE:

Industrial Safety Officers play a pivotal role in ensuring statutory compliance, preventing occupational accidents, protecting workers' health, and promoting a proactive safety culture within organizations. With increasing emphasis on legal compliance, risk management, and sustainable industrial practices, Safety Officers are expected to possess comprehensive knowledge of safety legislation, technical standards, hazard identification, emergency preparedness, and effective safety management systems.

This three-day intensive training programme is designed to provide participants with a comprehensive understanding of the legal framework governing occupational safety and health in India, along with the practical roles and responsibilities of Safety Officers across various industrial sectors. The programme integrates legal provisions with engineering controls, industrial hygiene practices, electrical and mechanical safety, chemical process safety, and contemporary approaches to safety management.

OBJECTIVE:

The training programme aims to:

- Understand the legal framework governing Occupational Safety and Health (OSH) in industries.
- Interpret the statutory duties, powers, and responsibilities of Safety Officers under applicable laws and regulations.
- Understand the roles of Safety Officers in accident prevention, incident investigation, and risk management.
- Develop competency in ensuring statutory compliance through inspections, audits, and documentation.
- Enhance knowledge of emergency preparedness, fire safety, and disaster management.
- Learn best practices in electrical, mechanical, chemical, and occupational health safety.
- Promote a positive safety culture through effective communication, training, and behavioural safety initiatives

COURSE HIGHLIGHTS:

This training programme will be delivered through expert-led sessions, case studies, and interactive discussions to ensure effective learning and practical application in workplace scenarios.

- National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace.
- Introduction to OSHWC Code 2020.
- Heat Wave Preparedness and Mitigation Measures
- Legal Roles, Duties, Powers & Responsibilities of Safety Officers.
- Statutory Compliance Requirements under various Industrial Laws.
- Hazard Identification, Risk Assessment & Control Measures (HIRA)
- Industrial Accident Investigation, Reporting & Legal Responsibilities.
- Electrical, Mechanical and Chemical Process Safety Management.
- Occupational Health, Industrial Hygiene & Health Surveillance
- Safety Audits, Safety Inspections and Compliance Monitoring
- Emergency Preparedness, Fire Safety & Disaster Management Planning

PARTICIPATION:

This programme is designed for Safety Officers, HSE/EHS professionals, Factory Managers, Production Managers, Electrical, Mechanical and Chemical Engineers, Industrial Hygienists, Fire & Safety personnel, HR and Administrative Officers responsible for statutory compliance, Safety Committee members, Supervisors, Contractors' Safety Coordinators, Consultants, and all professionals involved in implementing and monitoring Occupational Safety, Health and Environmental (OSHE) practices in industries.

DATE AND TIMINGS:

Three days, 09th to 11th December 2026 from 1000 Hrs to 1700 Hrs.

VENUE:

Webinar Hall of Regional Labour Institute, Chennai Adyar, TTTI, Taramani Post, Tamil Nadu-600113

1) Institute Fees: Rs.5000/- (Rupees Five Thousand only) per participant is payable through the Bharat kosh portal. Payment can be made online by following steps, **after receiving confirmation of nomination from the RLI, Chennai**. Please note, the institution fee does not cover refreshments or working lunch.

2) Payment procedures:

Login to https://bharatkosh.gov.in Select Quick Payment
Ministry: 021- Labour & Employment Purpose: Services and services fees
Pay & Account Office (PAO): 030461 – PAO, DGE&T II, Chennai
DDO Code: 230475 (Regional Labour Institute)
Remarks: Training Program on "Legal requirements and Roles of a Safety Officer in industries"

ACCOMMODATION:

Limited number of non-family hostel accommodation is available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on "first come first serve" basis.

TRAINING HEAD: Shri. B. J Ravi, Director (Safety) & In- Charge, RLI, Chennai.

TRAINNG CO-ORDINATOR:

Shri. Gopinath.B, Addl. Asst. Director(S), RLI, Chennai.

NOMINATION:

Nomination may be sent to **The Addl. Assistant Director (S)**, Industrial Safety Division, on or before **08th December, 2026.**

Admission to this training programme is subject to confirmation from this Institute/ Course Co-Ordinator.

Contact Details:
Phone: 8098856432, Website: www.dgfasli.gov.in
E-mail: b.gopi@dgfasli.nic.in, rlichennai@dgfasli.nic.in

नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म

"उद्योगों में एक सुरक्षा अधिकारी की कानूनी आवश्यकताओं और भूमिकाओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (09 - 11 दिसंबर 2026)

पर

रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट अड्यार, चेन्नई-600113

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षर):

पदनाम :

संचार के लिए पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नं. :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर :

ईमेल :

फैक्स नं. :

आवास : आवश्यक/आवश्यक नहीं

भुगतान विवरण भारतकोष रसीद संख्या-

दिनांक:

के अंतर्गत आता है : (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/एनईआर*)

*=पूर्वोत्तर क्षेत्र

दस्तख़त देखिए।

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

"Training Program on "Legal requirements and Roles of a Safety Officer in industries"
(09th – 11th December 2026)

at

REGIONAL LABOUR INSTITUTE ADYAR, CHENNAI-600113

PARTICIPANT'S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS : **Bharatkosh receipt number-**

Dated:

BELONGS TO : (GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE